पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट व राजकीय अभिभाषक उपस्थित। अपील में अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील निवेदन किया कि अपीलाधीन भूमि वर्तमान जमाबंदी में अपीलांट के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं एवं उस पर अपीलांट का कब्जा काश्त हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली को राजस्व कैम्प में नियत कर अपीलांट को बिना सुने एवं अपीलांट को बिना जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अवसर दिये ही आदेश पारित किया हैं। एक रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता हैं इसलिए का आदेश निरस्त योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय को धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियमके तीनो मुख्य बिन्दु सुविधा का सन्तुलन, प्रथमदृष्टया प्रकरण एवं अपूरणीय क्षति का विवेचन किये बिना आदेश पारित किये हैं जो विधि विरूद्ध नही है। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), अजमेर का आदेश दिनांक 28.06.2017 को निरस्त करने के आदेश न्यायहित मे प्रदान करावें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक ने दौराने जवाब बहस निवेदन किया कि अपीलांट का यह कहना कि आदेश जारी करने से पूर्व उन्हे सुनवाई का अवसर नहीं दिया हैं, जो गलत हैं क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट बाद नोटिस तामिल के उपस्थित नहीं हुए। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि सम्मत हैं इसलिए अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जावें।

अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के रिकार्ड का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न जमाबंदी सम्वत 2071 से 2074 में विवादित आराजी हनुमान पुत्र गोमा के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय ने एक रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया हैं एवं अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम के तीनो मुख्य बिन्दु सुविधा का सन्तुलन, प्रथमदृष्टया प्रकरण एवं अपूरणीय क्षति का विवेचन किये बिना आदेश पारित किये हैं जो विधि सम्मत नही है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि सम्मत नहीं होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 28.06.2017 को निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्याालय को प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 28.6.2017 निरस्त किया जाता हैं एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देते हुए धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम के तीनो मुख्य बिन्दु सुविधा का सन्तुलन, प्रथमदृष्टया प्रकरण एवं अपूरणीय क्षति का विवेचन करते हुए न्यायालय हाजा के आदेश से 60 दिवस में पुनः निर्णय करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।